-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना तिन्दवारी क्षेत्र में व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के सश्रम कारावास कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“आपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना तिन्दवारी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम परसौड़ा में व्यक्ति की गैर इरादन हत्या करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 21.05.2020 को थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम परसौड़ा के रहने वाले उमाकान्त मिश्रा पुत्र विजय शंकर मिश्रा को थाना चिल्ला क्षेत्र के ग्राम अतरहट निवासी लालू सिंह पुत्र चुन्नू सिंह द्वारा मार-पीटकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिनकी इलाज के दौरान दिनांक 23.05.2020 को मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के भतीजे सच्चिदानन्द की तहरीर पर थाना तिन्दवारी पर अभियोग मु0अ0सं0 75/20 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री संजीव कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 20.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी रोहित दीक्षित के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **लालू सिंह पुत्र चुन्नू सिंह निवासी अतरहट थाना चिल्ला जनपद बांदा।**